

विधान सभा तारांकित प्रश्न क्र. 2266 के प्रश्नांश 'क' की जानकारी

बैठक का दिनांक - 24-07-2017, सदस्या श्रीमती रेखा यादव

कार्यालय आयुक्त सहकारिता एवं पंजीयक सहकारी संस्थायें, मध्यप्रदेश

क्रमांक/साख/सी.बी-2/2017/625  
प्रति,

भोपाल, दिनांक 28.02.2017


संयुक्त आयुक्त,  
सहकारिता,  
संभाग सागर।

विषय:- विधान सभा तारांकित प्रश्न क्रमांक 4838 के प्रश्नांश "ख" एवं "ग" की जांच बावत्।

संदर्भ:- उपायुक्त सहकारिता जिला छतरपुर का पत्र क्रमांक 244, दिनांक 23.02.2017।

संदर्भित पत्र के द्वारा विषयान्तर्गत विधान सभा प्रश्न का उत्तर प्रेषित किया गया है। उत्तर के परीक्षण में उपायुक्त, सहकारिता, जिला छतरपुर द्वारा सेवा सहकारी संस्था मर्या., मउसहानियां के दो कर्मचारियों को जांच उपरांत सेवा से पृथक करने हेतु पत्र जारी किये गये थे तथा कालान्तर में उसी कर्मचारी को संस्था के समिति प्रबंधक का प्रभार देने हेतु लेख किया गया है। उपायुक्त, सहकारिता, जिला छतरपुर द्वारा जारी पत्र दिनांक 19.06.2013 में संस्था के अध्यक्ष तथा समिति प्रबंधक द्वारा प्रस्तुत वस्तुस्थिति की जानकारी और उसके परीक्षण उपरांत दो कर्मचारियों की सेवायें संस्था के हित में न होने के आधार पर समाप्त होने के निर्देश दिये गये थे। उक्त स्थिति में प्रकरण का परीक्षण आवश्यक हो गया है।

अतः उक्त स्थिति में संलग्न विधान सभा प्रश्न के प्रश्नांश "ख" एवं "ग" की जांच उपायुक्त कार्यालय तथा संस्था के अभिलेख के आधार पर की जाकर एक सप्ताह में प्रतिवेदन प्रेषित करें।

  
अपर आयुक्त  
सहकारिता, म.प्र.

OIC

क्रमांक/साख/सी.बी-3/2017/625  
प्रतिलिपि-


भोपाल, दिनांक 28-2-17

1. प्रबंध संचालक, म. प्र. राज्य सहकारी बैंक मर्यादित, भोपाल।
2. उप आयुक्त, सहकारिता, जिला छतरपुर
3. मुख्य कार्यपालन अधिकारी, जिला सहकारी केन्द्रीय बैंक मर्यादित, छतरपुर की ओर सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु।

  
अनुभाग अधिकारी  
मध्य प्रदेश शासन,  
सहकारिता विभाग

  
अपर आयुक्त  
सहकारिता, म.प्र.

OIC

  
अपर आयुक्त  
सहकारिता, म.प्र.